चारधाम यात्रा 2026 मे अश्ववंशीय पशुओ के संचालन हेतु प्रस्तावित मानक संचालन प्रकिया

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चारधाम यात्रा 2026 मे अश्ववंशीय पशुओ के संचालन हेतु पशुपालन विभाग द्वारा मानक संचालन प्रकिया (S.O.P) का प्रस्तावित आलेख विभागीय website-www.ahd.uk.gov.in पर अपलोड किया गया है। समस्त हित धारकों से अनुरोध है कि उक्त ड्राफ्ट का अध्ययन पश्चात यदि जनहित में कोई सुझाव हो तो दिनांक 15.04.26 की सांय 05.00 बजे तक विभागीय ईमेल आई.डी dirahuk@gmail.com पर अथवा लिखित रूप से पशुपालन,निदेशालय,मोथरोवाला देहरादून के कार्यालय में कार्यालय अवधि में प्राप्त कराने का कष्ट करे।

निदेशक
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड

2026–27 चारधाम यात्रा में अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु प्रस्तावित नवीन SOP

श्री केदारनाथ,यमुनोत्री एवं हेमकुण्ड यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्याः 775/XV-I/23/4(12)22 दिनांकः 01.05.2023 एवं शासनादेश संख्या 217923/XV-I/24/4(12)22/31871 दिनांक 14.06.2024 को अवक्रमित करते हुए श्री केदारनाथ, यमुनोत्री एवं श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु निम्नवत् मानक संचालन प्रकिया का निर्धारण किया जाता है :–

- मा० उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार यात्रा मार्ग की जांच में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर (लगभग 19 किमी की दूरी) जनहानि,पशुहानि की आंशका के निवारण हेतु अधिकतम 5000 अश्ववंशीय पशु (जिसमें से 4000 यात्रियों हेतु एवं 1000 समान ढुलान हेतु–आना एवं जाना) एवं श्री हेमकुण्ड यात्रामार्ग पर अनावश्यक क्रूरता की संभावना के निवारण हेतु यात्रा मार्ग पर पशुओं को गुनगुने पेयजल तथा शेड–शैल्टर की उचित व्यवस्था होने पर, प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (लगभग 15 कि०मी० की दूरी हेतु 1,050 अश्ववंशीय पशु) एवं मा0 एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023O.A No 561/2022(M.A No 54) Urvashi Shobhna Kachari Vs Union of India & Others के क्रम में यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर प्रति किलोमिटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (लगभग 8.5 कि0मि0 की दूरी हेतु 595 अश्ववंशीय पशु) की अधिकतम धारिता क्षमता निर्धारित है।
- चारधाम यात्रा में अश्ववंशीय पशुओं के सुगम संचालन हेतु जारी की जा रही मानक संचालन प्रकिया श्री केदारनाथ के अतिरिक्त श्री हेमकुण्ड साहिब एवं श्री यमुनोत्री मार्ग पर भी शत–प्रतिशत रूप में लागु की जानी है।
- यात्रा मार्ग पर उपयोग में लाये जाने वाले समस्त अश्ववंशीय पशुओं का पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण पशुपालन विभाग अथवा जिला प्रशासन द्वारा नामित पशुचिकित्सक द्वारा किया जायेगा। पशुओ का वार्षिक पंजिकरण जिला पंचायत तथा जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा किया जायेगा तथा दैनिक टोकन का कार्य पूर्णतह जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। पंजिकरण से पूर्व पशुओ की इयर टैगिग और माइक्रोचिपिग अनिवार्य रूप से की जाय।
- पशु स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पशु के पहचान चिन्हीकरण हेतु पशु के कान में टैग अथवा जैसा भी जिला प्रशासन द्वारा निहित हो, जिसका समस्त रिकोर्ड यथासम्भव डिजिटल माध्यम से यात्रा ट्रैक पर तैनात समस्त सम्बिन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- पंजीकरण से पूर्व स्वास्थ्य जांच के समय प्रत्येक पशु के रक्त की ग्लैडर्स जाच अनिवार्य रूप से की जायेगी। **Glanders Test** रिपोर्ट नेगेटिव आने के उरान्त ही पशु का पंजीकरण वैध माना जायेगा। अधिसूचित बिमारियो (जैसे ग्लैडर्स के पांजिटिव केस आने पर Prevention and Control of Infection and Contagious Diseases in Animals Act 2009 की धारा 6 व 20 के तहत अधिसूचित बीमारियों की अनिवार्य रूप से अधिसूचना जारी की जायेगी।)
- यात्रा मार्ग पर प्रत्येक 2 किलोमीटर पर पशु स्वामी द्वारा अश्ववंशीय पशु को साफ एवं गुनगुना पानी उपलब्ध कराया जाय व स्वयं के व्यय पर पशु स्वामी द्वारा चारे व इलैक्ट्रोलाइट पिलाने की व्यवस्था रखी जायगी। जिससे अधिक चढाई वाले स्थानों पर पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सकेगा।
- अश्ववंशीय पशुओं के ऊपर प्रयोग में लाये जाने वाली काठी हल्की एवं काठी के नीचे एक मोटे कम्बल का प्रयोग किया जाए, जिससे पशु के शरीर पर काठी से घाव न बन पाये। यात्रा प्रारम्भ से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण के समय काठी उतारकर पशु स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया जाय, कि पशु के शरीर पर कोई घाव न हो तथा लंगडाकर न चल रहा हो व अस्वस्थ्य प्रतीत न हो रहा हो।

- यात्रा मार्ग पर अश्ववंयशीय पशुओं के यात्री के परिवहन हेतु लाईट श्रेणी (300 किग्रा से कम वजन) के पशओं के लिए अधिकतम भार 50 किग्रा और भारी श्रेणी (300 किग्रा से अधिक वजन) के पशुओं के लिए अधिकतम भार 90 किग्रा निर्धारित किया जाता है। इस अधिकतम भार में काठी का वजन भी सम्मिलित माना जाएगा।
- यात्रा के दौरान प्रत्येक पशुस्वामी द्वारा अधिकतम दो अश्ववंशीय पशुओं को संचालित किया जा सकेगा। प्रतिदिन एक ही टोकन निर्गत किया जायेगा जो कि पूर्ण एक चक्कर हेतु मान्य होगा प्रत्येक पशु के साथ एक संचालक (Hawker) का होना अनिवार्य होगा।
- यात्रा के दौरान प्रत्येक पशुस्वामी द्वारा संचालित किये जा रहे अश्ववंशीय पशुओं का पशु बीमा संबंधित जिला प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।
- केदारनाथ यात्रा के दौरान अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु पशुस्वामी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के उपरान्त यदि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत दोषी पाए जाते है तो उनका लाइसेंस, लाइसेंस निर्गत करने वाली संस्था के माध्यम से रद्द करने की संस्तुति की जाएगी। ऐसी दशा में पशुस्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाऐगी।
- पुलिस विभाग तथ म्यूल टास्क फोर्स द्वारा पशुकुरूरता निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय सहिता के अन्तर्गत कुरूता करने वाले के विरूद्व FIR दर्ज की जाय तथा केश प्रोपट्री पशुओं को इन्फर्मरी मे जप्त कर रखा जायेगा इस विषय मे प्रत्येक सैक्टर मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी बनाते हुये निर्देश निर्गत किये जाये तथा आवश्यक प्रशिक्षण किया जायेगा।
- यात्रा मार्ग पर तैनात पुलिस अधिकारियों, पशुचिकित्साधिकारियों एवं म्यूल टास्क फोर्स के कार्मिको को पशु क्रुरता निवारण के सम्बन्ध में नियमित प्रशिक्षण दिया जाय साथ ही प्रत्येक थाने तथा अन्य प्रमुख स्थानो पर पशुक्ररता से सम्बन्धित पोस्टर तथा एस.ओ.पी समूचित मात्रा मे लागाये जायेगे।
- यदि किसी लाइसेंसधारी पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उसका लाइसेंस मुकदमे की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। मुकदमे के निपटारे पर यदि लाइसेंसधारी बरी हो जाता है, तो उसके अश्ववंशीय पशुओं का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के उपरान्त ही यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाया जा सकेगा।
- ब्लैकलिस्ट किये गये पशुस्वामी के सभी पशुओ का पंजिकरण निरस्त किया जाय तथा सूची प्रति माह अन्य जनपदों के साथ साझा किया जाय।
- यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त चैक पोस्ट स्थापित कर टोकनो की संघन जांच की जाय तथा मा.उच्च न्यायालय के निर्देशो के कम में बिना टोकन के पशुओ का संचालन करने वाले पशु स्वामियो/संचालको को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाय। इस नीति के तहत ब्लैकलिस्ट किए गए सभी व्यक्तियों की पूरी सूची, टोकन देने वाली ऐजन्सी के माध्यम से पुलिस विभाग, सम्बिन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, Mule Task Force, जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
- टोकन प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी और Mule Task Force व अन्य सभी संबंधित यह सुनिश्चित करेगे कि इस नीति के अंतर्गत ब्लैकलिस्ट में डाला गया कोई भी व्यक्ति यात्रा मार्ग पर घोड़े/खच्चर न चला रहा हो।
- यात्रा मार्ग पर प्रयोग लाये जाने वाले अश्ववंशीय पशु कार्य में लिए जाने से पूर्व क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार न्युनतम एक सप्ताह की अनुकुलन अवधि सुनिश्चित की जाये, जिससे पशु क्षेत्र के अनुरूप अपने आपको ढाल सके।
- सूर्यास्त के बाद व सूर्यादय से पूर्व अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा मार्ग पर संचालित नहीं किया जायेगा। पशुओ के रात्री संचालन को पूर्णतः रोकने हेतु दैनिक टोकन केवल प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक ही निर्गत किये जाय।
- माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 79/2022 में दिनांक 10.08.2023 को पारित आदेश के तहत पशुओं के रात्रि संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध है।

- मार्गो पर रात्रीगस्त व चैक पोस्टो पर चौबीस घण्टे निगरानी हेतु प्रयाप्त पुलिस बल तैनात किये जाय। मालवाहक पशुओ को प्रयाप्त विश्राम देने के दृष्टिगत चारो जनपदो में एक पृथक सैल गठित किया जाय,जिसके माध्यम से पूर्णतह स्वस्थ मालवाहक पशुओ को 48 घण्टे में मात्र एक टोकन निर्गत किया जायेगा।
- पशुस्वामी द्वारा वन क्षेत्रो मे अवैध डेरा बनाये या पशुओ को मार्ग पर बाधने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाय।
- यात्रा मार्ग पर अत्यंत कठिन परिस्तिथियों एवं ठडें वातावरण में ओलावृष्टि, बर्फ गिरने पर अश्ववंशीय पशुओं का संचालन प्रतिबंधित किया जाऐ। यात्रा मार्ग पर वर्षा व ओलावृष्टि होने पर पशुस्वामी द्वारा अश्ववंशीय पशुओं को शेड में रोककर खडा किया जायेगा। जिससे अकाल मृत्यु से बचाव किया जा सके। पशुओं हेतु सीमित दूरी पर जिला प्रशासन द्वारा शेड की व्यवस्था की जाऐगी।
- पशुओं पर किसी भी प्रकार की बाहरी सजावट साज–सज्जा किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
- निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित होगी :–
  - पशु पर निर्धारित क्षमता से अधिक वजन लादना।
  - घायल अथवा बीमार प्रतीत हो रहे पशु से कार्य कराना।
  - पशु के मुहॅ के अन्दर नुकीली बीट डालकर चलाना।
  - पशु को यात्रा मार्ग पर तेज गति से दौडाना जिससे पैदल यात्रियों को असुविधा हो।
  - पशु को मारना, पीटना व दागना।
  - बिना टोकन व पंजीकरण के पशु का यात्रा मार्ग पर संचालन।
  - मृत पशु के शरीर को लावारिस छोडना।
  - पशु के ईयर टैंग व माइक्रोचिप के साथ छेडखानी करना।
- अश्ववंशीय पशुओं के मल–मूत्र के कारण उत्पन्न हो रही समस्या के निदान हेतु समुचित सफाई व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।
- यात्रा में प्रयोग में लाये जा रहे अश्ववंशीय पशुओं हेतु दाने एवं चारे की व्यवस्था यात्रा मार्ग पर निर्धारित स्थानों पर किया जाना उचित होगा। जिन संस्थाओं अथवा व्यक्तिगत विक्रेताओं द्वारा यात्रा मार्ग अथवा आस–पास पशुओं हेतु चारा एवं दाना का व्यापार अथवा निःशुल्क वितरण किया जा रहा हो, पशुपालन विभाग को अधिकार होगा कि, वह विक्रय योग्य सामग्री का औचक निरीक्षण/जांच कर सकेंगे और यदि आवश्यकता हो तो समय–समय पर नियमानुसार सैम्पलिंग भी करेंगे।
- यात्रा मार्ग पर संचालित अस्थायी पशुचिकित्सालयों में चिकित्सा हेतु समस्त अश्ववंशीय पशुओं का चिकित्सा पंजीका का अभिलेखीकरण किया जायेगा व चिकित्सा के दौरान पशु यदि कार्य करने योग्य नहीं है तो पशुचिकित्सक द्वारा टोकन प्रदान करने वाली संस्था अथवा कन्ट्रोल रुम को सूचित करते हुए पशु का ईयर टैंग नं० तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा। उन अश्ववशींय पशुओं को स्वस्थ होने तक यात्रा में प्रयोग नही किया जायेगा।
- यात्रा मार्गो पर अत्यधिक भीड एवं भगदड की दृष्टिगत जिला प्रशासन मार्ग पर सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु पशुाओ को 200 से 250 के जत्थो मे कुछ समय क अर्न्तराल पर यात्रा मार्ग पर छोडा जाय।
- कतिपय पशुस्वामीयों द्वारा यात्रा मार्गों में अन्य किसी संस्था/व्यापारी द्वारा निर्गत चिप स्ट्रैप उतार कर अन्य पशुओं पर अवैध रूप से उपयोग में लाये जा रहे हैं तो इस अनियमित्ता की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जायेगी।
- यात्रा मार्गों के आधार शिविरों एवं जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर स्थायी/अस्थायी पशुचिकित्सालय की स्थापना की जायेगी। जिनमें आवश्यकतानुसार पशुचिकित्सक तथा पैरावेट की तैनाती की जायेगी।
- यात्रा के दौरान घायल/बीमार हुए अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा मार्ग पर चलने की अनुमति नही दी जायेगी। अस्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त यदि अश्ववंशीय पशु यात्रा मार्ग पर संचालित है तो जिला प्रशासन, पशुस्वामी के विरूद्ध अर्थ दंड एवं उनका अनुज्ञ प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

- यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं की मृत्यु की दशा में शीघ्र–अतिशीघ्र मृत अश्ववंशीय पशुओं की सूचना निकटतम अस्थायी पशुचिकित्सालय में तैनात पशुचिकित्सक को प्राप्त होने पर पशुचिकित्सक द्वारा शव विच्छेदन रिपोर्ट निर्गत किये जाने के उपरान्त जिला प्रशासन द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चिन्हीत भूमि पर शव का निस्तारण किया जाय तथा शवविच्छेदन की वीडियो ग्राफी भी करायी जाय तथा मृत अश्ववंशीय पशुओं के शव को Body bag से ढक कर रखा जायेगा।
- यदि प्रारम्भिक य नियमित जांच में कोई मादा अश्ववंशीय पशु गर्भवती पायी जाती है तो उसे यात्रा मार्ग पर संचालित न किया जाये।
- यात्रा मार्गों पर टोल–फ्री नम्बर नेटवर्क क्षेत्र के बाहर होने के कारण किसी भी आपातकालीन स्थिति में जिला प्रशासन से संपर्क न हो पाने की स्थिति मे टोलफ्री नम्बर को नेटवर्क एरिया से जोडने की आवश्यक कार्यवाही की जाए जिससे यात्रियों एवं अश्ववशींय पशु स्वामीयों की समस्या का समाधान किया जा सके।
- अश्ववंशीय पशुओ के संचालन की निरन्तर निगराही हेतु एक सृढद एव एक नियमित रिर्पोटिग तत्र के माध्यम से संचालन एवं यात्रा से सम्बन्धित साप्ताहिक के आधार पर राज्य स्तरीय समिति को अनिवार्य रूप से रिर्पोट प्रस्तुत करेगे।